

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक २०९

/म०नि०नि०/2018-19

दिनांक : ०८ जून, 2018

:: आदेश ::

एतद्वारा 'उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017' में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये तात्कालिक प्रभाव से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित निबन्धन लिपिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित उप निबन्धक कार्यालय में स्थानान्तरित करते हुये तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	निबन्धन लिपिक का नाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	नवीन तैनाती का कार्यालय/स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री राकेश कुमार	कार्यालय उप निबन्धक लक्सर	कार्यालय उप निबन्धक टिहरी गढ़वाल	धारा-7 के अन्तर्गत
2.	श्री राम कुमार	कार्यालय उप निबन्धक हरिद्वार-II	कार्यालय उप निबन्धक रुड़की-II	धारा-13 के अन्तर्गत
3.	श्री प्रमोद राणा	कार्यालय उप निबन्धक हरिद्वार-I	कार्यालय उप निबन्धक रुड़की-I	धारा-13 के अन्तर्गत
4.	श्रीमती आरती देवी	कार्यालय उप निबन्धक रुड़की-II	कार्यालय उप निबन्धक हरिद्वार-I	धारा-13 के अन्तर्गत
5.	श्रीमती हेमलता जोशी	कार्यालय उप निबन्धक देहरादून-I	कार्यालय उप निबन्धक ऋषिकेश	धारा-13 के अन्तर्गत
6.	श्री हरीश सिंह	कार्यालय उप निबन्धक भिक्यासैण	कार्यालय उप निबन्धक हल्द्वानी-II	धारा-10 के अन्तर्गत

उपरोक्त समस्त निबन्धन लिपिकों को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त तालिका में वर्णित अपने नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में निबन्धन लिपिक के पद पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

(सौजन्या)

महानिरीक्षक निबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक : संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल/अल्मोड़ा/टिहरी गढ़वाल।
- 2-जिला निबन्धक/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल/अल्मोड़ा/टिहरी गढ़वाल को इन निर्देशों के साथ कि सम्बन्धित निबन्धन लिपिकों को उनके वर्तमान तैनाती पद के कार्यभार से अवमुक्त करना व नव तैनाती पद पर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 3-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल/हल्द्वानी/अल्मोड़ा/टिहरी गढ़वाल।
- 4-समस्त निबन्धन लिपिकों को (नाम से) अनुपालनार्थ।
- 5-कार्यालय प्रति।

(सौजन्या)

महानिरीक्षक निबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून।